

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार बनाम सुरेश
किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-54 सन्-2022

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-54/2022 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 06.01.2023 | <p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम जटवाडा भूमि ख0न0 649 कुल अतिक्रमित रकबा 0.0050 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0रास्ते पर गैर सायल सुरेश पुत्र नहन्या जाति मीना निवासी जटवाडा द्वारा मेड़बन्दी कर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, गैर सायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल न्यायालय हाजा में उपस्थित हुआ एवं अतिक्रमण किया जाना स्वीकार कर अतिक्रमण को हटाया जाना भी स्वीकार किया। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.22 रुपये का 50 गुणा 11 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली एवं वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> | |

रा0 ल0 सं0 4 वर्ष 2022-23 की
पं0 सं0 64 पर-11 रु.
फर्द कायम की गई।

नायब तहसीलदार
तहसील मण्डावर (दौसा)



तहसील राजस्व लेखाकार